

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 55/2022

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. ए. जवाहरलाल पुत्र अनराज जाति महाजन निवासी खोखरा तहसील सोजत जिला, पाली राजस्थान। हालमुकाम 48/46, चेल्लापिल्लैयर कॉइल स्ट्रीट, रॉयपेट्टा, चैन्नई, तमिलनाडू।	1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान	

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136
एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थिति:-

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव, महावीर प्रसाद मेवाड़ा अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

-: निर्णय :-

दिनांक 18/07/2022

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार हल्का खोखरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगड़ी के वर्तमान खाता नंबर 171 के खसरा नंबर 143 रकबा 4.0510 हैक्टर किस्म चा.दो.जा.दो. बंजड़, खाता संख्या 169 के खसरा नंबर 211 रकबा 6.3710 हैक्टर किस्म चा.दो.जा.दो बंजड़, खाता संख्या 170 के खसरा नंबर 136 रकबा 0.3500, खसरा नंबर 138 रकबा 6.3250, खसरा नंबर 139 रकबा 9.8100, खसरा नंबर 140 रकबा 0.2330, खसरा नंबर 141 रकबा 1.5250, खसरा नंबर 142 रकबा 1.1000, खसरा नंबर 210 रकबा 0.0500, खसरा नंबर 212 रकबा 1.1000, खसरा नंबर 213 रकबा 0.1400, खसरा नंबर 214 रकबा 0.0400, खसरा नंबर 215 रकबा 0.0500, खसरा नंबर 217 रकबा 6.4900, कुल खसरा 12 कुल रकबा 27.2170 हैक्टर, वर्तमान खाता संख्या 168 के खसरा नंबर 155 रकबा 1.5450 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित है। वादी के पिता अनराज पुत्र किशनमल का निवर्सीयती स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् उक्त वादस्थ कृषि भूमि का विरासती खातेदारी दर्ज कर वादी एवं वादी की माता भूरीबाई, वादी के भाई गणेशमल के नाम खातेदारी दर्ज की गई जिसे दर्ज करते समय वादी का घरेलू नाम जवरीलाल दर्ज कर दिया। वादी का वास्तविक व सही नाम ए जवाहरलाल के नाम से जाना व पहिचाना जाता है। वादी के तमाम सरकारी व अर्द्धसरकारी दस्तावेज में ए. जवाहरलाल के नाम से जारीसुदा है, जिनकी प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। ए. जवाहरलाल व जवरीलाल दोनों एक ही नाम के व्यक्ति है, जो अलग अलग नाम के व्यक्ति नहीं है तथा न ही अनराज के जवरीलाल नाम की कोई संतान थीं। इसलिए वादी जवरीलाल के स्थान पर ए. जवाहरलाल नाम की खातेदारी घोषणा करवाये जाने का अधिकारी होने से यह वाद वहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी खातेदारी घोषणा का पेश है। बिनाय दावा दिनांक 01.04.2022 को राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि



उपखण्ड अधिकारी

राजस्व रेकॉर्ड में वादी का नाम ए. जवाहरलाल के स्थान पर जवरीलाल दर्ज कर दिया जबकि वास्तविकता ए. जवाहरलाल दर्ज किया जाना चाहिये था, तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादी द्वारा उक्त संशोधन करने से इंकार करने से उत्पन्न हुआ जो अंदर म्याद पेश है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा खोखरा में स्थित होने से व वाद खातेदारी घोषणा, रेकॉर्ड दुरस्ती का होने से न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार वादपत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र के पद संख्या 1 वर्णित वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार हल्का खोखरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगड़ी के वर्तमान खाता नंबर 171 के खसरा नंबर 143 रकबा 4.0510 हैक्टर किस्म चा.दो.जा.दो. बजंड, खाता संख्या 169 के खसरा नंबर 211 रकबा 6.3710 हैक्टर किस्म चा.दो.जा.दो बजंड, खाता संख्या 170 के खसरा नंबर 136 रकबा 0.3500, खसरा नंबर 138 रकबा 6.3250, खसरा नंबर 139 रकबा 9.8100, खसरा नंबर 140 रकबा 0.2330, खसरा नंबर 141 रकबा 1.5250, खसरा नंबर 144 रकबा 1.1000, खसरा नंबर 210 रकबा 0.0500, खसरा नंबर 212 रकबा 1.1000, खसरा नंबर 213 रकबा 0.1400, खसरा नंबर 214 रकबा 0.0400, खसरा नंबर 215 रकबा 0.0500, खसरा नंबर 217 रकबा 6.4900, कुल खसरा 12 कुल रकबा 27.2170 हैक्टर, वर्तमान खाता संख्या 168 के खसरा नंबर 155 रकबा 1.5450 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में दुरस्ती कर वादी का नाम जवरीलाल पुत्र अनराज के स्थान पर ए. जवाहरलाल पुत्र अनराज के नाम से पुनः रेकॉर्ड दुरुस्त करवा कर राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी को जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त हुआ। अप्रार्थी जबाबदावा पेश नहीं करना चाहने से आज दिनांक 18.07.2023 को जबाब का अवसर समाप्त कर जबाब दावा बन्द किया गया। तहसीलदार, सोजत को जरिये पत्रांक/कोर्ट/2022/721 दिनांक 08.07.2022 वास्ते मौका एवं रेकॉर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट हेतु लिखा गया जिसकी अनुपालना में तहसीलदार सोजत ने जरिये पत्रांक/राजस्व/2023/1052 दिनांक 12.07.2023 मौका एवं रेकॉर्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के खाता संख्या 168 के खसरा संख्या 155. रकबा 1.5450 है0 बा0अ0 में जवरीलाल पुत्र अनराज हि0 पूर्ण, खाता संख्या 169 खसरा संख्या 211 रकबा 6.3710 में जवरीलाल पुत्र अनराज हि0 420/6371, खाता संख्या 170 में कुल खसरा 12 रकबा 27.2170 है0 में जवरीलाल पुत्र अनराज हि0 1/16 तथा खाता संख्या 171 के ख0नं0 143 रकबा 4.0510 है0 में जवरीलाल पुत्र अनराज 1/39 दर्ज है। वादी ए0 जवाहरलाल पुत्र अनराज महाजन ने राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज जवरीलाल पुत्र अनराज के स्थान पर ए0 जवाहरलाल पुत्र अनराज महाजन दर्ज किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है। खोखरा में जानकारी करने पर वादी का चेन्नई में व्यवसाय प्रयोजनार्थ रहना बताया गया। वादी द्वारा अपने समर्थन में आधार कार्ड संख्या 854983489050 प्रस्तुत किया जिस अनुसार वादी का नाम ए जवाहरलाल पुत्र अनराज ही है। इस प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत कर वाद अनुसार वादी का नाम शुद्ध किया जाना उचित बताया।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार हल्का खोखरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगड़ी के वर्तमान खाता नंबर 171 के खसरा नंबर 143 रकबा 4.0510 हैक्टर किस्म चा.दो.जा.दो. बजंड, खाता संख्या 169 के खसरा नंबर 211 रकबा 6.3710 हैक्टर किस्म चा.दो.जा.दो बजंड, खाता संख्या 170 के

उपखण्ड आधिकारी,
सोजत (राज.)

खसरा नंबर 136 रकबा 0.3500, खसरा नंबर 138 रकबा 6.3250, खसरा नंबर 139 रकबा 9.8100, खसरा नंबर 140 रकबा 0.2330, खसरा नंबर 141 रकबा 1.5250, खसरा नंबर 144 रकबा 1.1000, खसरा नंबर 210 रकबा 0.0500, खसरा नंबर 212 रकबा 1.1000, खसरा नंबर 213 रकबा 0.1400, खसरा नंबर 214 रकबा 0.0400, खसरा नंबर 215 रकबा 0.0500, खसरा नंबर 217 रकबा 6.4900, कुल खसरा 12 कुल रकबा 27.2170 हैक्टर, वर्तमान खाता संख्या 168 के खसरा नंबर 155 रकबा 1.5450 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती कर वादी का नाम जवरीलाल पुत्र अनराज के स्थान पर ए. जवाहरलाल पुत्र अनराज के नाम से खातेदारी घोषणा एवं राजस्व रेकर्ड दुरुस्त दर्ज करवाने की ईशतदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति, वर्तमान जमाबंदी खाता सं० 171, 169, 170, 168, वादी का आधार कार्ड सं० 854983489050 आदि पेश किये जिसका गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी अपना नाम जवरीलाल के स्थान पर ए जवाहरलाल पुत्र अनराज करवाना चाहता है। एवं इस हेतु पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं जिसमें वादी का नाम ए.जवाहरलाल दर्ज सुदा है। भूमि धारी तहसीलदार सोजत ने भी दुरुस्ती किए जाने हेतु कोई आपत्ति होना जाहिर नहीं किया है। लिहाजा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र में वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों एवं दस्तावेजी साक्ष्य से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम जवरीलाल पुत्र अनराज के स्थान पर ए. जवाहरलाल पुत्र अनराज के नाम से खातेदारी घोषणा कर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :-




अतः माफिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार हल्का खोखरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बंगड़ी के वर्तमान खाता नंबर 171 के खसरा नंबर 143 रकबा 4.0510 हैक्टर किस्म चा. दो.जा.दो. बजंड, खाता संख्या 169 के खसरा नंबर 211 रकबा 6.3710 हैक्टर किस्म चा. दो.जा.दो बंजड़, खाता संख्या 170 के खसरा नंबर 136 रकबा 0.3500, खसरा नंबर 138 रकबा 6.3250, खसरा नंबर 139 रकबा 9.8100, खसरा नंबर 140 रकबा 0.2330, खसरा नंबर 141 रकबा 1.5250, खसरा नंबर 144 रकबा 1.1000, खसरा नंबर 210 रकबा 0.0500, खसरा नंबर 212 रकबा 1.1000, खसरा नंबर 213 रकबा 0.1400, खसरा नंबर 214 रकबा 0.0400, खसरा नंबर 215 रकबा 0.0500, खसरा नंबर 217 रकबा 6.4900, कुल खसरा 12 कुल रकबा 27.2170 हैक्टर, वर्तमान खाता संख्या 168 के खसरा नंबर 155 रकबा 1.5450 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती कर वादी का नाम जवरीलाल पुत्र अनराज के स्थान पर ए. जवाहरलाल पुत्र अनराज के नाम से खातेदारी घोषणा की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त कर अमल दरामद किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर


[Signature]
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।



यह निर्णय आज दिनांक 18/7/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर


(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (सोजत)


(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

डिक्री व मुकदमें इत्यादी
(ओ020 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बड़जलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी :-

वनाम

प्रतिवादी :-

1. ए. जवाहरलाल पुत्र अनराज जाति महाजन निवासी खोखरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान। हालमुकाम 48/46, चेल्लापिल्लैयर कॉइल स्ट्रीट, रॉयपेट्टा, चैन्नई, तमिलनाडू।
1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136

एल0आर0एक्ट0 195राजस्व

वाद संख्या :- 55/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री सुरेन्द्र वैष्णव, महावीर प्रसाद मेवाड़ा तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम खोखरा पटवार हल्का खोखरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगड़ी के वर्तमान खाता नंबर 171 के खसरा नंबर 143 रकबा 4.0510 हैक्टर किस्म चा.दो.जा.दो. बजंड, खाता संख्या 169 के खसरा नंबर 211 रकबा 6.3710 हैक्टर किस्म चा.दो.जा.दो बजंड, खाता संख्या 170 के खसरा नंबर 136 रकबा 0.3500, खसरा नंबर 138 रकबा 6.3250, खसरा नंबर 139 रकबा 9.8100, खसरा नंबर 140 रकबा 0.2330, खसरा नंबर 141 रकबा 1.5250, खसरा नंबर 144 रकबा 1.1000, खसरा नंबर 210 रकबा 0.0500, खसरा नंबर 212 रकबा 1.1000, खसरा नंबर 213 रकबा 0.1400, खसरा नंबर 214 रकबा 0.0400, खसरा नंबर 215 रकबा 0.0500, खसरा नंबर 217 रकबा 6.4900, कुल खसरा 12 कुल रकबा 27.2170 हैक्टर, वर्तमान खाता संख्या 168 के खसरा नंबर 155 रकबा 1.5450 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती कर वादी का नाम जवरीलाल पुत्र अनराज के स्थान पर ए. जवाहरलाल पुत्र अनराज के नाम से खातेदारी घोषणा एवं राजस्व रेकर्ड दुरुस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान -

मुबलिंग -

बाबत --

इस मुकदमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

वशिवा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18/7/22 को जारी की गई।



(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत, जिला-पाली, राजस्थान